दिनांक 21 अक्टूबर, 1995 को अलग रखा जाए और मामले को उसकी मूल संख्या में बहाल किया जाए।इस आवेदन को विद्वत निचली अदालत ने 10 अगस्त, 1996 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था, जिसे वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

2 श्री श्योराण, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान निचली अदालत विवादित आदेश पारित करते समय दिमाग को ठीक से लागू करने में विफल रही है क्योंकि याचिकाकर्ता-वादी द्वारा दायर आवेदन को आदेश 21 नियम 93 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन के रूप में गलत तरीके से उल्लेख किया गया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि चूंकि न तो वादी और न ही उसका वकील 21 अक्टूबर, 1995 को उपस्थित था, जब वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया था, इसलिए विद्वत निचली अदालत को आदेश 17 नियम 2 सी. पी. सी. के तहत वादी के मुकदमे को बहाल करना चाहिए था।

3 पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और अभिलेखों को पढ़ने के बाद, मुझे इस याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है।21 अक्टूबर, 1995 का आदेश, जिसे इसमें फिर से प्रस्तुत किया गया है, स्वयं दर्शाता है कि उस तारीख को वादी का साक्ष्य धारा 35 बी सी. पी. सी. के तहत बंद कर दिया गया था और चूंकि वादी को कई अवसर दिए जाने के बावजूद वादी किसी भी गवाह की जांच करने में विफल रहा था, इसलिए वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया था।चूंकि वाद गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था-21 अक्टूबर, 1995 के आदेश के माध्यम से, वाद की बहाली के लिए वादी द्वारा 21 अक्टूबर, 1995 को दायर आवेदन, स्वयं 21 अक्टूबर, 1995 के आदेश को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है, जिसके द्वारा उनका वाद गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था, कानून के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त मंच के समक्ष, लेकिन किसी भी मामले में वाद की बहाली के लिए आवेदन उक्त आदेश के खिलाफ नहीं था।तदनुसार, याचिका खारिज कर दी जाती है।.

आरएनआर

न्यायामूर्ति जी. एस. सिंघवी और एम.एस.गिल, के समक्ष

नगरपालिका समिति, ठाणेसर,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

1998 का सी. डब्ल्यू. पी. 10156
21 जुलाई, 1999

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 14—हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973—एस.एस. 203, 205(5) एवं 240-योजना के विपरीत प्रस्तावित निर्माण की भवन योजना-भवन निर्माण की मंजूरी के लिए आवेदन नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अनिर्णीत रहना - धारा 205 (5) के तहत स्वीकृत मंजूरी का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता है यदि इसके परिणामस्वरूप नगर नियोजन योजना का उल्लंघन होता है - एस.डी.ओ. द्वारा मंजूरी दी गई। (सिविल) धारा 203 के तहत केवल इसलिए कि समान स्थिति वाले व्यक्ति ने योजना के विपरीत मंजूरी प्राप्त कर ली है, नगरपालिका समिति को फिर से अवैधता करने के लिए मजबूर करने का आधार नहीं बनता है - एस.डी.ओ. का आदेश (सिविल) के अनुसार मंजूरी रद्द की जा सकती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 205 (5) के तहत मानित मंजूरी का नियम लागू नहीं किया जा सकता है यदि इस तरह की मंजूरी के परिणामस्वरूप किसी उप-कानून, या धारा 203 के तहत स्वीकृत किसी भी भवन या नगर योजना योजना का उल्लंघन हो सकता है।

(पैरा 7)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक मामले में सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा की गई अवैधता को दूसरे मामले में इसी तरह की अवैधता करने के लिए मजबूर करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।संविधान के अनुच्छेद 14 में सन्निहित समानता का सिद्धांत राज्य को समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश देता है, लेकिन इसे किसी व्यक्ति को नकारात्मक समानता को लागू करने का अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक अधिकारियों को वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में कार्रवाई करने का निर्देश जारी करने के लिए समानता के सिद्धांत को बढ़ाया और दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी विशेष मामले में कानून के उल्लंघन में कुछ कार्रवाई की गई है।इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 की भवन योजना को मंजूरी देने का निर्देश इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए दिया गया कि अशोक कुमार के मामले में दी गई मंजूरी धारा 205 (1) के विपरीत थी, इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा 10)

राजेश चौधरी, वकील-याचिकाकर्ता की ओर से।

जसवंत सिंह, उप महाधिवक्ता, हरियाणा-प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए।
वी. बी. अग्रवाल, वकील-प्रत्यर्थी संख्या 3 के लिए।

न्याय

माननीय जी. एस. सिंघव!आई

1. नगरपालिका समिति, थानेसर (इसके बाद याचिकाकर्ता का वर्णन किया गया है) ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि आदेश दिनांक 23 जनवरी, 1986 और 28 मार्च, 1997 को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), थानेसर (प्रतिवादी संख्या 2) और आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा स्थानीय सरकार विभाग (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा पारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रस्तुत भवन योजना की मंजूरी मान ली गई। प्रतिवादी संख्या 3 को खारिज किया जाए।

2. याचिका में उठाए गए मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि भवन योजना की मंजूरी के लिए प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27 सितंबर, 1994 की प्राप्ति पर, याचिकाकर्ता ने 8 नवंबर, 1994, 16 फरवरी, 1995 को पत्र लिखे। , 29 मार्च, 1995, 23 अगस्त, 1995 और 15 दिसंबर, 1995 को उनसे आपत्तियों को पूरा करने की मांग की गई, जिनमें से एक यह थी कि भवन योजना टाउन प्लानिंग स्कीम नंबर 1 (भाग- II) के विपरीत है। प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके बजाय, उन्होंने प्रतिवादी नंबर 2 के समक्ष हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 240 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें प्रार्थना की गई कि याचिकाकर्ता को उसके भवन निर्माण को मंजूरी देने का निर्देश दिया जाए। 23 जनवरी, 1996 के एक आदेश द्वारा, प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 की प्रार्थना स्वीकार कर ली और नगरपालिका समिति के अध्यक्ष को विवादित भवन योजना को मंजूरी देने का निर्देश दिया। 23 जनवरी, 1996 के आदेश को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपील को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. इस इस याचिका में निर्धारण के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठते हैं कि क्या

अधिनियम की धारा 205 (5) में निहित भवन योजना की स्वीकृत मंजूरी के नियम को तथ्य की परवाह किए बिना नगर समिति के सक्षम प्राधिकारी को भवन योजना को मंजूरी देने के लिए बाध्य करने के लिए लागू किया जा सकता है। यह विधिवत स्वीकृत नगर नियोजन योजना के विपरीत है या यह कानून के प्रावधानों के विपरीत है।

4 . याचिकाकर्ता के वकील श्री राजेश चौधरी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 के भवन योजना को मंजूरी देने के लिए आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए निर्देश स्पष्ट रूप से अवैध, मनमाने और अनुचित हैं। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने भवन योजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह टाउन दो प्लानिंग स्कीम नंबर 1 (भाग- II) के विपरीत पाया गया था, जिसे 19 मई, 1977 को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 205 (5) में निहित मानित मंजूरी के सिद्धांत को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब भवन योजना नगर योजना या नगर समिति/परिषद द्वारा बनाए गए उपनियमों और नियमों का उल्लंघन नहीं करती है। श्री चौधरी ने तब तर्क दिया कि किसी अन्य व्यक्ति, अर्थात् श्री अशोक कुमार द्वारा प्राप्त अवैध और धोखाधड़ी की मंजूरी को याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 की भवन योजना को मंजूरी देने का निर्देश देने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा आधार नहीं बनाया जा सकता था। तथ्य यह है कि यह नगर नियोजन योजना के विपरीत था।प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वकील श्री वी.बी. अग्रवाल ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा पारित आदेशों का पुरजोर समर्थन करते हुए तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की भवन योजना स्वीकृत नगर नियोजन योजना का उल्लंघन नहीं करती है। उन्होंने कहा कि सड़क की चौड़ाई केवल 50 फीट है, 80 फीट नहीं, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा बनाई जाने वाली इमारत अशोक कुमार की दुकान के अनुरूप है और इसलिए, उनके ग्राहक द्वारा प्रस्तुत भवन योजना की मंजूरी को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। तब श्री अग्रवाल ने भरोसा जताया।इसके बाद श्री अग्रवाल ने **योगेन्द्र पाल और अन्य बनाम नगर पालिका, भटिंडा और अन्य** [1] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया और तर्क दिया कि शीर्ष अदालत द्वारा अधिनियम की धारा 203 को रद्द करने के मद्देनजर, टाउन प्लानिंग योजना संख्या 1 (भाग-2) को निरस्त माना जाएगा और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत भवन योजना की मंजूरी को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह उक्त योजना के अनुरूप नहीं है।

5 हमने विद्वान वकील की दलीलों पर सोच-समझकर विचार किया है।

6 अधिनियम की धारा 203 निर्मित क्षेत्रों के लिए एक भवन योजना और अनिर्मित क्षेत्रों के लिए एक नगर नियोजन योजना तैयार करने का प्रावधान करती है। धारा 203 की उपधारा (2) से (6) योजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया बताती है। धारा 205 समिति और/या कार्यकारी अधिकारी को भवनों के निर्माण या पुन: निर्माण को मंजूरी देने या मंजूरी देने से इनकार करने की शक्ति प्रदान करती है। इस याचिका में उठाए गए मुद्दे पर प्रभाव n डालने वाले अधिनियम की धारा 203 (1) और (3) और धारा 205 (1), (2) और (5) के उद्धरण इस प्रकार हैं: -

"203. निर्माण योजना।—(1) समिति, और यदि उपायुक्त द्वारा ऐसा आवश्यक हो, तो ऐसी मांग की तारीख से छह महीने के भीतर, निर्मित क्षेत्रों के लिए एक भवन योजना और गैर-निर्मित क्षेत्रों के लिए एक नगर योजना योजना तैयार कर सकती है, जो अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित मामलों के लिए प्रावधान कर सकती है, अर्थात्:—

(a) नगरपालिका के पूरे या किसी भाग में भवनों या भवनों के किसी वर्ग के निर्माण या पुनर्निर्माण का प्रतिबंध, और जिसका उपयोग किया जा सकता है;

(b) प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर या दोनों तरफ एक इमारत लाइन का प्रिस्क्रिप्शन;

(1) ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 2550

(3) समिति उस योजना के संबंध में प्रत्येक आपत्ति या सुझाव पर विचार करेगी जो उप-धारा (2) के प्रावधानों के तहत सूचित तिथि तक प्राप्त हो सकती है और ऐसी किसी आपत्ति या सुझाव के परिणामस्वरूप योजना में संशोधन कर सकती है और फिर मूल

1 AIR 1994 S.C.2550

रूप से तैयार की गई या संशोधित की गई ऐसी योजना को उपायुक्त को भेजेगी, जो यदि उचित समझता है, तो इसे एक निर्दिष्ट तिथि तक पुनर्विचार और पुनः प्रस्तुत करने के लिए समिति को वापस कर सकता है और उपायुक्त अपनी राय के साथ राज्य सरकार को अग्रेषित या फिर से प्रस्तुत की गई योजनाओं को प्रस्तुत करेगा, जो ऐसी योजना को मंजूरी दे सकता है या इसे मंजूरी देने से इनकार कर सकता है, या इसे एक निर्दिष्ट तिथि तक पुनर्विचार और पुनः प्रस्तुत करने के लिए समिति को वापस कर सकता है।

(205) भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए समिति की शक्तियाँ।—(1) समिति या कार्यपालक अधिकारी, जैसा भी मामला हो, धारा 202 की उप-धारा (1) के तहत बनाए गए किसी उप-कानून का उल्लंघन करते हुए या धारा की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) 0 के तहत उल्लिखित किसी योजना का उल्लंघन करते हुए किसी भी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण को मंजूरी देने से इनकार कर देगा।203, किसी भवन की स्थापना के लिए धारा 184 द्वारा आवश्यक मुआवजे का भुगतान करने में समिति की असमर्थता के कारण ऐसी योजना के उल्लंघन में किसी भवन के निर्माण को मंजूरी देना आवश्यक है।

(2) जब समिति या कार्यपालक अधिकारी, यथास्थिति, की राय में किसी भवन का निर्माण या पुनर्निमाण धारा 203 के तहत प्रस्तावित योजना के प्रवर्तन में हस्तक्षेप करने की संभावना है, तो समिति अपनी मंजूरी से इनकार कर सकती है और ऐसे मामले मे आवेदक को उसके आवेदन की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर आधार के साथ लिखित रूप में अपने इनकार के बारे में सूचित करेगी, और आवेदक इसके बाद लिखित सूचना द्वारा समिति से प्रस्तावित योजना की तैयारी के लिए हर संभव गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा कर सकता है।आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा यदि समिति या कार्यकारी अधिकारी, जैसा भी आवश्यक हो, द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट समय के भीतर अस्वीकार करने का आदेश पारित नहीं किया जाता है, या यदि प्रस्तावित योजना को आवेदक की लिखित सूचना देने की तारीख से बारह महीने के भीतर राज्य सरकार की मंजूरी नहीं मिली है।

(3) समिति या कार्यकारी अधिकारी, जैसा भी मामला हो, किसी भी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण को मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं।
किसी अन्य कारण से, आवेदक को लिखित रूप में सूचित किया जाना है, जिसे वह, या वह, यथास्थिति, ऐसे भवन को प्रभावित करने के रूप में न्यायसंगत और पर्याप्त समझता है, या यदि वह भूमि, जिस पर ऐसा भवन बनाने या फिर से बनाने का प्रस्ताव है, सरकार या समिति में निहित है और संबंधित सरकार की सहमति या, जैसा भी मामला हो, समिति की सहमति प्राप्त नहीं की गई है, या यदि भूमि का अधिकार ऐसे व्यक्ति और समिति या किसी सरकार के बीच विवाद में है।

(5) उप-धारा (1) या उप-धारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन इस धारा की धारा 202 की उप-धारा (2) और उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यदि समिति या कार्यपालक अधिकारी, जैसा भी मामला हो, किसी व्यक्ति से किसी भवन को बनाने या फिर से बनाने के इरादे की वैध सूचना की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर, या एक सौ बीस दिनों के भीतर, यदि सूचना उसी स्थान पर या उसी हिस्से पर, जिस पर पिछले बारह महीनों के भीतर किसी भवन के निर्माण के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया है, किसी भवन से संबंधित है, तो ऐसे निर्माण या फिर से निर्माण के लिए मंजूरी देने या मंजूरी देने से इनकार करने के आदेश पारित करने की उपेक्षा या चूक करता है।

(7) ए. सी. ए. आई. ए. ने प्रावधानों के सावधानीपूर्वक और 3-संयुक्त निर्देश में कहा है कि नगरपालिका समिति द्वारा बनाई गई योजना को मंजूरी देने या न देने की शक्ति अधिनियम की धारा 203 (3) और 4 के तहत राज्य सरकार में निहित है और एक बार योजना स्वीकृत हो जाने के बाद, नगरपालिका समिति इसे लागू करने के लिए बाध्य है।धारा 205 की उप-धारा (1) का पहला भाग नगर समिति या कार्यपालक अधिकारी पर, यथास्थिति, किसी भी भवन के निष्कासन या पुनः निर्माण को मंजूरी देने से इनकार करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है, यदि वह किसी उप-कानून या अधिनियम की धारा 203 की उप-धारा (3) या (4) के तहत स्वीकृत किसी योजना के लिए सह-पक्षपाती है। धारा 205 की उप-धारा (2) में समिति द्वारा किसी भवन

के निर्माण या पुनर्निर्माण को मंजूरी देने से इनकार करने की परिकल्पना की गई है, यदि यह किसी प्रस्तावित योजना के प्रवर्तन में हस्तक्षेप करने की संभावना है ।धारा 205 की उप-धारा (5) जो एक गैर-अस्थाई खंड से शुरू होती है, में प्रावधान है कि यदि समिति या कार्यपालिका

यदि अधिकारी किसी भवन को बनाने या फिर से बनाने का इरादा रखने वाले व्यक्ति से वैध सूचना प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर किसी भवन के निर्माण या फिर से निर्माण को मंजूरी देने या मंजूरी देने से इनकार करने के आदेश को पारित करने में लापरवाही करता है या चूक करता है, तो मंजूरी को स्वीकृत माना जाएगा ।हालाँकि, मानित मंजूरी के इस नियम को लागू नहीं किया जा सकता है यदि इस तरह की मंजूरी के परिणामस्वरूप किसी उप-कानून, या धारा 203 के तहत स्वीकृत किसी भी भवन या नगर योजना योजना का उल्लंघन हो सकता है ।

(8) प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद, हम इस मामले के तथ्यों पर वापस लौट सकते हैं ।इस मामले के अभिलेख की गंभीर जांच से पता चलता है कि प्रतिवादी नं.- द्वारा प्रस्तुत योजना की प्राप्ति के तुरंत बाद ।3 प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए, याचिकाकर्ता ने यह इंगित करते हुए आपत्तियां उठाईं कि यह नगर योजना योजना संख्या 1 (भाग II) के अनुरूप नहीं था और इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे ।8 नवंबर, 1994 के पत्र के माध्यम से, प्रतिवादी संख्या 3 को आपत्तियों/दोषों को दूर करने के लिए कहा गया था ।16 फरवरी, 1995,29 मार्च, 1995,23 अगस्त, 1995 और 15 दिसंबर, 1995 के संचार में इसे दोहराया गया था ।ऐसा करने के बजाय उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष याचिका दायर की, जिसने याचिकाकर्ता को भवन योजना संख्या 124/1994-95 पारित करने का निर्देश दिया । जिस कारण से प्रतिवादी संख्या 2 ने 23 जनवरी, 1996 को आदेश पारित करने के लिए प्रेरित किया, वह यह था कि समान रूप से स्थित व्यक्ति, अशोक कुमार के मामले में, याचिकाकर्ता ने भवन योजना को मंजूरी दी थी ।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भी याचिकाकर्ता की अपील को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसी तरह के मामले में नगर समिति द्वारा निर्माण योजना को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी ।

(9) हमारी राय में, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 की भवन योजना को मंजूरी देने का निर्देश देने के लिए दिया गया कारण पूरी तरह से अप्रासंगिक और अधिनियम की धारा 205 के दायरे से बाहर है और इसलिए, विवादित आदेश रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं ।हमारा यह भी मानना है कि प्रत्यार्थी संख्या 1 और 2 द्वारा दिया गया निर्देश अधिनियम की धारा 205 की उप-धारा (1) और (5) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसलिए, इसे रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट जारी की जानी चाहिए । दुर्भाग्य से, आधिकारिक उत्तरदाताओं ने धारा 205 के प्रावधानों का विज्ञापन किया जो स्पष्ट रूप से किसी भवन योजना की मंजूरी पर रोक लगाता है यदि वह उपनियमों या स्वीकृत नगर नियोजन योजना के विपरीत है ।इनमें से किसी ने भी याचिकाकर्ता की इस दलील पर फैसला नहीं किया कि प्रस्तावित निर्माण टाउन प्लानिंग स्कीम नंबर 1 (भाग- II) के विपरीत था, जिसे मंजूरी दे दी गई थी ।1977 में सरकार । इसलिए, हम मानते हैं कि लागू आदेश अवैध हैं और अधिनियम की धारा 205 के दायरे से बाहर हैं ।

(10) हम इस बात से भी आश्वस्त हैं कि अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत भवन योजना कीमंजूरी, जो याचिकाकर्ता के अनुसार, अधिनियम की धारा 205 के विपरीत थी, पर प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा यह निर्देश देने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था कि भवन योजना प्रतिवादी संख्या 3 को मंजूरी दी जाए । यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एक मामले में की गई अवैधता को दूसरे मामले में इसी तरह की अवैधता करने के लिए मजबूर करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है । संविधान के अनुच्छेद 14 में सन्निहित समानता का सिद्धांत राज्य को समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश देता है, लेकिन इसे किसी व्यक्ति को नकारात्मक समानता लागू करने का अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है । दूसरे शब्दों में, समानता के सिद्धांत को वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में कार्रवाई करने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए बढ़ाया या दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी विशेष मामले में कानून के उल्लंघन में कुछ कार्रवाई की गई है ।इसलिए, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि अशोक कुमार के मामले में दी गई मंजूरी धारा 205 (1) के विपरीत थी, प्रतिवादी नंबर 3 के भवन योजना को मंजूरी देने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 और 2 द्वारा याचिकाकर्ता को दिया गया निर्देश बरकरार नहीं रखा जा सकता है ।

(11) मामले के इस पहलू को छोड़ने से पहले, हम यह उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं कि कुरुक्षेत्र् के उपायुक्त ने अधिनियम की धारा 240 के तहत उन्हें निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, अशोक कुमार की भवन योजना की मंजूरी के लिए याचिकाकर्ता द्वारा पारित 16 सितंबर, 1997 के प्रस्ताव संख्या 10 को रद्द कर दिया और यह बात उन्हें बता दी गई थी। 9 दिनांक 15 जून, 1998।अपनी ओर से, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने वचन दिया था कि यदि अशोक कुमार के पक्ष में जारी मंजूरी को रद्द कर दिया जाता है तो वह निर्माण को ध्वस्त कर देगा। इसलिए, इस अतिरिक्त आधार पर, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा जारी किए गए निर्देशों को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(12) श्री वी.बी. का तर्क.अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत टाउन प्लानिंग स्कीम नंबर 1 (भाग- II) को योगेन्द्र पाल और अन्य बनाम नगर पालिका, भटिंडा और अन्य (ऊपर) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अमान्य माना जाना चाहिए और नजरअंदाज किया जाना चाहिए। सारांश अस्वीकृति के योग्य है क्योंकि उनके द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, उसमें टाउन प्लानिंग योजना को ख़राब करने का प्रभाव नहीं है,15 जुलाई, 1994 से पहले स्वीकृत थी क्योंकि निर्णय के पैराग्राफ 13 में, सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने यह स्पष्ट कर दिया था कि धारा 203 (1) अधिनियम निर्णय की तिथि से शून्य होगा।

(13) ऊपर उल्लिखित कारणों से रिट याचिका स्वीकार की जाती है। आदेश अनुलग्नक- पी. 3 और पी. 5 को अवैध घोषित किया जाता है और इस निर्देश के साथ रद्द कर दिया जाता है कि याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर नए सिरे से बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए प्रतिवादी नंबर 3 के आवेदन पर फैसला करेगा। प्रतिवादी संख्या 3 अपने आवेदन के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(14) अत्यावश्यक आवेदनों के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर इस आदेश की प्रति दी जायेगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
गुरूग्राम, हरियाणा